इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2018—पौष 14, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (01).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 तथा धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, परिशोधित स्पिरिट नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. विद्यमान नियम 3—क के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**3—क** सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, औषधियों एवं प्रसाधन सम्पाको के विनिर्माण में उपयोग के लिये ठोस तत्वों, मूल औषधियों, अन्य औषधियों और वातित रसायन के, जिनमें, मद्यसार समाविष्ट हो अथवा न हो, कारखानों में बनाए जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट का कब्जा रखने के लिए क्रमशः प्ररूप आर.एस.2—ब/आर.एस.2—अ में निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी कारखानें को अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा——

(एक) जिस जिले में कारखाना स्थित है या स्थापित करने की योजना है उस जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को विनिर्माता अनुज्ञा के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगा. ऐसे सभी आवेदन पत्रों में निम्न विवरण का समावेश रहेगा, यथा :—

(अ) आवेदक का नाम और पता;

(ब) कारखाने का नाम यदि कोई हों, जिसमें परिशोधित स्पिरिट का उपयोग किया जाना है और उसकी अवस्थिति;

(स) वार्षिक आवश्यकता की परिशोधित स्पिरिट की मात्रा;

(द) सम्पाकों के नाम जो विनिर्मित किए जाने हैं;

(इ) क्या आवेदक सम्पाकों के विनिर्माण के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारित करता है ? यदि ऐसा है तो अनुज्ञप्ति का प्रकार, संख्या और दिनांक।

(दो) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश या संचालक, उद्योग, मध्यप्रदेश जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श के बाद और आवेदक की सद्भावना के विषय में संतुष्ट होने के बाद, आगामी 31 मार्च को अंत होने वाले वर्ष या वर्ष

के भाग के लिए रु.**10000/–** फीस संदाय किए जाने पर प्ररूप आर.एस.2–ब/आर.एस.2–अ में अनुज्ञा जारी कर सकेगा।

(तीन) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली परिशोधित स्पिरिट, ऐसी दरों पर जैसी कि राज्य शासन समय–समय पर निर्धारित करे, आबकारी शुल्क संदाय किये जाने पर प्ररूप आर.एस.2 में प्रदत्त अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत आयात, निर्यात या परिवहन की जाएगी।

(चार) परिशोधित स्पिरिट नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के उचित पालन के लिए विनिर्माता, शासकीय कोषालय में रू.100/– नगद जमानत के रूप में जमा करेगा और प्ररूप "स" में रू. 1000/– के लिए बन्धपत्र भी निष्पादित करेगा।"।

2. प्ररूप आर.एस. 2–अ में, –

(एक) शीर्षक में, शब्द "अन्य क्षारीय औषधियों" के स्थान पर शब्द "मूल औषधियों और अन्य औषधियों" स्थापित किए जाएं; और

(दो) अंक तथा शब्द "100 रूपए संदाय किए जाने" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "रू. 10000/– संदाय किए जाने" स्थापित किए जाएं ।"।

3. विद्यमान प्ररूप आर.एस.2–अ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप आर.एस. 2–ब

ठोस तत्वों, मूल औषधियों ,अन्य औषधियों और वातित रसायनों को, जिनमें मद्यसार (Alcohol) भी समाविष्ट हो, सम्पाको को बनाए जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट का कब्जा रखने के लिए अनुज्ञप्ति।

परिशोधित स्पिरिट नियमों के नियम 3–क के अन्तर्गत और रू. 10000/–संदाय किए जाने के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा अभिस्वीकृत की जाती है, श्री.. ....आत्मज.. को...................................जिले के..................................... शहर में.............................. सड़क में स्थित परिसरों में 31 मार्च 20.......................को अन्त होने वाले वर्ष के दौरान, निम्नलिखित शर्तों के अधीन..प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट रखने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है–

शर्तें

1. इस अनुज्ञप्ति द्वारा दी गई सुविधा, नीचे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विस्तारित है।
2. अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में परिशोधित स्पिरिट की मात्रा...लंदन प्रूफ लीटर से अधिक नहीं होगी और 20..................................के 31 मार्च को अन्त होने वाले वर्ष के

लिए..लंदन प्रूफ लीटरों से अधिक मात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3. अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा प्राप्त सभी परिशोधित स्पिरिट को अनुज्ञप्त परिसर के अनुमोदित स्थानों में रखेगा।

4. इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत दैनिक सौदों का सही हिसाब अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न प्ररूप 'अ' और 'ब' में रखा जाएगा।

उत्पादन के उपरांत पुनः प्राप्त परिशोधित स्पिरिट पश्चात्वर्ती उत्पादन के लिये उपयोग की जा सकती है। बशर्ते कि ऐसी परिशोधित स्पिरिट अलग से एकत्रित की जा सकती हो और अलग से हिसाब दिया जा सकता हो।

प्ररूप अ
(शर्त 4 देखें)
परिशोधित स्पिरिट

हाजिर				प्राप्त				
माह और तिथि	मात्रा बल्क लीटर में	शक्ति	प्रूफ लीटर	कब प्राप्त	अनुज्ञा क्रमांक	बल्क लीटर में मात्रा	शक्ति	प्रूफ लीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

हाजिर और प्राप्त			खर्च				
मात्रा बल्क लीटर में	शक्ति	प्रूफ लीटर	बल्क लीटर में मात्रा	शक्ति	प्रूफ लीटर	नुकसान प्रूफ लीटर	टिप्पणी
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

प्ररूप ब
(शर्त 4 देखें)
परिशोधित स्पिरिट

स्पिरिट भंडार से प्राप्त मात्रा			
माह और तिथि	बल्क लीटर	शक्ति	प्रूफ लीटर
(1)	(2)	(3)	(4)

खर्च की गई मात्रा			विनिर्मित वस्तुएं		
बल्क लीटर	शक्ति	प्रूफ लीटर	नाम	मात्रा	टिप्पणी
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

5. सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर मांगी गई जानकारी अनुज्ञप्तिधारी उसको देगा।
6. अनुज्ञप्त परिसरों, उसमें रखी गई स्पिरिट और लेखा बही को हमेशा ऐसा अधिकारी जो आबकारी उपनिरीक्षक से कम स्तर का न हो उसके द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रखेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी, परिशोधित स्पिरिट नियमों द्वारा और सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तो की शर्त कमांक 1, 3, 6, 7, 12, 22, 23, 24 और 26 द्वारा आबद्ध है।
8. इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर, यह अनुज्ञप्ति सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रद्द की जा सकती है।

दिनांक ....20................

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
जिला ....,".

---

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2018

क्र. बी-1-01-2018-2-पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच, (01) दिनांक 4 जनवरी, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

No. F-B-1-01-2018-2-V-(01) Bhopal, the 4th January 2018

In exercise of the powers conferred by section 62 and sub-section (1) of section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Rectified Spirit Rules, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For existing rule III-A, the following rule shall be substituted, namely :-

"III-A. The Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer may issue a licence in Form R.S.2-B/R.S.2-A respectively for the possession of rectified spirit for use in the process of manufacture of solid extracts, basic drugs, other drugs and aromatic chemicals, whether they contain alcohol or not for use in manufacturing of medicines and toilet preparations to any manufactory subject to the conditions mentioned below-

(i) The manufacturer shall apply in writing for a licence to the Assistant Excise Commissioner /District Excise Officer of the district in which the manufactory is located or proposed to be located. Every such application shall contain the following particulars, namely :-

(a) Name of the applicant and his address;

(b) Name of the manufactory, if any, in which the rectified spirit is to be used and its location;

(c) Quantity of rectified spirit required annually;

(d) Names of preparations to be manufactured;

(e) Whether the applicant holds a licence under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), for the manufacture of the preparations and if so, kind, number and date of the licence.

(ii) The Assistant Excise Commissioner /District Excise Officer shall, after consulting the Director of Health Services, Madhya Pradesh or the Director of Industries, Madhya Pradesh, as the case may be, and on his being satisfied about the bonafides of the applicant shall issue a licence in Form R.S.2-B/R.S.2-A on payment of a fee of Rs.10000/- for the year or part of the year ending on the 31st March next following.

(iii) The rectified spirit to be obtained under the licence shall be imported, exported or transported under a permit granted in Form R.S.2, on payment of excise duty at such rates as may be fixed by the State Government, from time to time.

(iv) The manufacturer shall deposit in Government Treasury Rs.100/- as cash security and shall also execute a bond for Rs.1000/- in Form "C " for the proper observance of the Rectified Spirit Rules and Conditions of the licence.".

2. In Form R.S.2-A,-

(i) in heading, for the words "other basic drugs" the words "basic drugs and other drugs" shall be substituted;

(ii) for the words and figure "of the payment of Rs. 100/-", the words and figure "of the payment of Rs. 10000/-" shall be substituted.".

3. After existing Form R.S.2-A, the following Form shall be inserted, namely-

"Form R.S. 2-B

Licence for the possession of rectified spirit for use in preparation of solid extracts, basic drugs, other drugs and aromatic chemicals those containing alcohol also.

Under Rule III-A of Rectified Spirit Rules and in consideration of the payment of Rs. 10000/- the receipt of which is hereby acknowledged, a licence is hereby granted to Shri..........................S/O......................to possess.................proof litres of rectified spirit in the premises situated in .... street in the town of ....in the district of..........during the year ending the 31st March, 20...........subject to the following conditions-

Conditions

1. The privilege conferred by this licence extends to the manufacture of preparations specified below.

2. The quantity of rectified spirit in the licensee's possession shall not exceed .... London proof liters and shall not be allowed more than ....London proof liters for the year ending 31st March, 20................

3. The licensee shall keep all the rectified spirit received by him in approved places in licensed premises.

4. A correct account shall be kept of the daily transaction under the license in Forms A and B appended to the licence.

   Rectified spirit recovered in the course of production may be used for subsequent production provided such Rectified Spirit is collected separately and account for separately.

FORM A
(See condition 4)
Rectified Spirit

In Hand				Received				
Month & date	Quantity in bulk litre	Strength	Proof litre	When received	Permit No.	Quantity in bulk litre	Strength	Proof litre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total in hand & Received			Expended				
Quantity in bulk litre	Strength	Proof litre	Quantity in bulk litre	Strength	Proof litre	Wastage in Proof litre	Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

FORM B
(See condition 4)
Rectified Spirit

Quantity Received from Spirit Store			
Month & date	Bulk litre	Strength	Proof litre
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity Expended			Preparations Manufactured		
Bulk litre	Strength	Proof litre	Name	Quantity	Remarks
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

5. The licensee shall furnish to the Assistant Excise Commissioner /District Excise Officer information required by him from time to time.

6. The licensed premises, the spirit kept therein and the account books shall at all times be open to inspection by an officer not below the rank of sub-inspector of Excise.

7. The licensee is bound by Rectified Spirit Rules and conditions I, III, VI, VII, XII, XXII, XXIII, XXIV and XXVI of the General Licence conditions.

8. On breach of any of the conditions of this licence or of the provision of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915(II of 1915) or of the rules made thereunder,

this licence may be cancelled by the Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer.

Dated........20.......... **Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer**

District........................".

---

4. This notification shall be deemed to have come into force from 1st July,2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (02) भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 78 एवं धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्वापक औषधि और मनोत्तेजक पदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम, 1985, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"**16-अ. विनिर्माण, कब्जा और बिक्री-** अनुज्ञप्त विक्रेता या अनुज्ञप्त औषधि विक्रेता, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, औषधियां, जिनका कि वह विधिक रूप से विनिर्माण करने, कब्जा रखने और विक्रय करने का अधिकारी है, औषधीय अफीम, स्वापक औषधियां, मार्फिन, डायसिटिल मार्फिन या कोकेन इत्यादि से विनिर्मित कर सकेगा। उक्त प्रयोजन के लिए प्ररूप एन.डी. 1-अ में अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी।"।

2. नियम 29 में, शब्द तथा अंक "प्ररूप एन.डी. 1 या एन.डी. 2" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "प्ररूप एन.डी. 1, प्ररूप एन.डी. 1-अ या प्ररूप एन.डी. 2", स्थापित किए जाएं।"।

3. प्ररूप एन.डी.1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"प्ररूप एन.डी.1-अ

(नियम 16-अ एवं नियम 29 देखें)

औषधीय अफीम एवं स्वापक औषधि से निर्मित औषधियों के विनिर्माण, कब्जा और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति

स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 के नियम 16-अ एवं 29 के अन्तर्गत और फीस रू 10000/- के संदाय के प्रतिफल पर जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा अभिस्वीकृत की जाती है.................................... आपको.........................जिला...................... के शहर ....की सड़क .... में स्थित आपके परिसर में नुस्खे के सिवाय .... 31 मार्च 20 .... को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान औषधीय अफीम एवं स्वापक औषधियों से निर्मित औषधि विनिर्माण, कब्जा और बिक्री करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा--

शर्तें

(1) आप इस अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

(2) आप अपने कब्जे में अन्य समवर्गी औषधियों को एक साथ शामिल करते हुए * .... का[1] .... किलोग्राम से अधिक नहीं रखेंगे ।

(3) आप केवल उन परिसरों के लिए जिनमें औषधीय अफीम एवं स्वापक औषधियों से निर्मित औषधि कब्जे में रखने एवं विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, विक्रय करेंगे।

(4) आप निम्नलिखित प्ररुप में संव्यवहारों का सही लेखा रखोगे, औषधि की प्रत्येक भिन्न निर्मिति के लिए अलग–अलग पृष्ठ रखा जाना है—

दिनांक	प्रारम्भिक शेष	आज प्राप्त मात्रा और कब प्राप्त हुई	विनिर्माण हेतु जारी मात्रा	कुल मात्रा की गणना किया जाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

विनिर्मित औषधि की मात्रा	आज बिक्री मात्रा	खरीददार का पूरा नाम	पूरा पता	बचत	टिप्पणी
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(5) आप सभी आयात पासों को उचित तौर पर नत्थी करेंगे ।

(6) कलेक्टर के द्वारा विशेष रुप से या सामान्यतः प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या आबकारी या पुलिस के उपनिरीक्षक या नायब तहसीलदार से कम श्रेणी के न होने वाले किसी अधिकारी की मांग पर तुरन्त निरीक्षण के लिए आप अपनी अनुज्ञप्ति, पासों की फाइल और लेखा पुस्तक और अपना विनिर्मित स्टाक और इससे संबंधित समस्त स्टाक पेश करेंगे। प्राप्तियों की पुष्टि में प्राप्त प्रदायों की अनुज्ञाएं और प्राप्त प्रदायों के बीजक **(Invoice)** पेश करेंगे ।

(7) यह अनुज्ञप्ति,कलेक्टर के द्वारा रद्द की जा सकती है यदि स्वापक औषधियां एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) या उसके अन्तर्गत बने नियम के किसी उपबंध या ऊपर उल्लिखित शर्तों का आपके द्वारा या आपके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उस परिसर में जिसके लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, उल्लंघन किया जाता है।"।

दिनांक ....20.................

कलेक्टर

जिला ....

* यहां औषधि का प्रकार लिखें जो बनायी या बेची जाय जैसे—
1. औषधीय अफीम एवं स्वापक औषधियों से निर्मित औषधि निर्माण

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2018

क्र. बी–1–01–2018–2–पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–1–01–2018–2–पांच, (01) दिनांक 4 जनवरी, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

No. F-B-1-01-2018-2-V-(02) Bhopal, the 4th January 2018

In exercise of the powers conferred by section 78 and section 10 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After rule 16, the following rule shall be added, namely: -

   "**16-A. Manufacture, possession and sale-** Licensed vendor or licensed druggist may, subject to the conditions of his licence, manufacture medicines for which he is lawfully entitled to manufacture, to possess, and to sell from medicinal opium, narcotic drugs, morphine, diacetyl-morphine or cocaine etc. Licence may be issued in Form N.D.1-A for the said purpose.".

2. In rule 29, for the words and figures "Form N.D.1 or N.D.2 ", the words and figures "Form N.D.1, Form N.D.1-A or Form N.D. 2 " shall be substituted.

3. After Form N.D. 1, the following Form shall be added, namely:-.

"FORM N.D.1-A
[See rule 16-A and rule 29]
Licence for manufacture, possession and sale of medicines manufactured from medicinal opium & narcotic drugs

Under rule 16-A and 29 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985 and in consideration of the payment of a fee of Rs. 10000/- the receipt of which is hereby acknowledged, licence is granted to you............to manufacture, possess and sell medicines manufactured from medicinal opium and narcotic drugs..................otherwise than on prescription on your premises in ....street, in the town of ....in the district of .... during the year ending the 31st March,20.... subject to the following conditions, namely:-

CONDITIONS

(1) You shall not transfer this licence to any other person.
(2) You shall not have in your possession more than* ....kilograms of[1] ....and other allied drugs taken together.
(3) You shall sell, only to those premises having licence for possession and sale of the medicines manufactured from medicinal opium and narcotic drugs.
(4) You shall maintain correct account of transactions in the following form, a separate page being set for each different preparation of the drug:-

Date	Opening balance	Quantity received this day and when received	Quantity used for manufacturing	Total quantity to be accounted for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Finished manufactured quantity	Quantity sold this day	Full name of purchaser	Full Address	Balance	Remarks
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(5) You shall file all import passes properly.

(6) You shall produce your licence, file of passes and account book and your manufactured stock, and every stock concerned with this for inspection immediately on demand of any officer specially or generally authorised by the Collector or any officer not below the rank of Sub-Inspector of Excise or Police or of Naib Tahsildar. In support of the receipt you shall produce the permits and invoices of supplies obtained.

(7) This licence may be cancelled by the Collector, if any breach of any of the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 to 1985) or of the rules made thereunder or of the above mentioned conditions is committed by you or by any person employed by you on the premises for which this licence is granted.".

Collector

Dated ....20... District,................

-2-

---

*Here enter the kind of the drugs that may be manufactured or sold:-

1. Medicine manufactured from medicinal opium & narcotic drugs.

---

4. **This Notification shall be deemed to have come into force from 1st July,2017.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.